न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील जीसीएमएस नं. 2024/8

1. रघुवीर सिंह पुत्र चावण्ड सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रियासत इन्फा डवलपर्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 709, ओ.के. प्लस, सैक्टर—7, मानसरोवर जरिये डायरेक्टर श्री सुभाषचन्द सैनी पुत्र श्री गणेशराम सैनी।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन—14, जरिये उपायुक्त जविप्रा इन्द्रा सर्किल जे एल एन मार्ग, जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय उपायुक्त जोन 14 ज. वि. प्रा. जयपुर दिनांक 03.10.2023 अन्तर्गत धारा 90 क (9) एल आर एक्ट बाबत खसरा नम्बर 350, 359, 362 लगायत 364, 369, एवं 366 ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज०।

उपस्थित—

1. श्री उमेश पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3 की ओर से।

अपील जीसीएमएस नं. 2024/124

1. रघुवीर सिंह पुत्र चावण्ड सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. करण सिंह
2. राघवेन्द्र सिंह
   पुत्रान चतुर सिंह जाति राजपूत निवासी 88 ए वेस्ट राधा स्वामी नगर स्कोन रोड खेजडो का वास मानसरोवर जयपुर।
3. दिग्विजय सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी 57 गोपीनगर दुसाद नगर स्कीम नम्बर—4 सांगानेर जयपुर।
4. शिवराज सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी 101/90 पटेल नगर सैक्टर 10 मानसरोवर जयपुर
5. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन—14, जरिये उपायुक्त जविप्रा इन्द्रा सर्किल जे एल एन मार्ग, जयपुर।
6. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज०।

—रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्व निर्णय उपायुक्त जोन 14 ज. वि. प्रा. जयपुर दिनांक 31.10.2024 अन्तर्गत धारा 90 क (9) एल आर एक्ट बाबत खसरा नम्बर 15, 14/2, 16/1, 17, 14, 15/2, 16 एवं 17/1 369, वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राज०।

उपस्थित–

1. श्री राकेश पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री रघुवीर सिह राठोड, वकील रेसपोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –03.07.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी जोन–14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के निर्णय दिनांक 03.10.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में विषयवस्तु समान होने से दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. प्राधिकृत अधिकारी, जोन–14 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट रघुवीर सिंह पुत्र चावण्ड सिंह जाति राजपूत द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी, जोन–14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 03.10.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि के संबध मे अधिकार घोषणा का वाद सन 2008 से विचाराधीन है तथा दौराने वाद ही उक्त भूमि का विक्रय रेस्पोडेंट सं 1 को कर दिया गया है जिसका नामान्तकरण भी रेस्पोडेंट सं 1 के नाम से खुल गया है। जबकि अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है । यह कि उक्त भूमि के संबंध में एक अपील नामान्तकरण के संबंध में भी श्रीमान के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत की गई थी तथा दिनांक 30.09.1997 को श्रीमान के यहां से आदेश पारित कर आदेश दिया गया कि वाद के अन्तिम निस्तारण तक नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा गया था जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई तब राजस्व मण्डल ने श्रीमान के आदेश की पुष्टि दिनांक 23.09.2002 के आदेश से की इस प्रकार नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थिगित किया गया जो आज भी प्रभावी है । उक्त अपीलो में तहसीलदार सांगानेर भी पक्षकार थे किन्तु फिर भी उन्होने रेस्पोडेंट सं 1 के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जिसकी अपील अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम के यहां प्रस्तुत की गई जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम ने स्थगन आदेश दिनांक 22.09.2023 को पारित किया किन्तु उक्त आदेश के बाद आज तक किसी प्रकार का विपरीत आदेश प्रदान नहीं किया गया तथा मान्य उच्च न्यायालयों के फैसलो के अनुसार जब तक कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया जावे तब तक स्थगन आदेश प्रभावी रहेगा किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश प्रदान किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी आयुक्त जयपुर

जो कि न्याय के प्रचलित सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम ग्रामीण के स्थगन की जानकारी रेस्पोडेंट नम्बर–1 को थी। वह उक्त अपील में पक्षकार था तथा दिनांक 22.09.2023 के स्थगन आदेश के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय में जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.10.2023 को ही बिना किसी जांच के 90 (क) की कार्यवाही कर दी जबकि अधिकार घोषणा का वाद सन 2008 से विचाराधीन है तथा अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के अधिकार उक्त वाद मे तय होने है। वाद के विचाराधीन इस प्रकार से गलत विक्रयपत्र के आधार पर जो 90 क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है वह विधि सम्मत नहीं है। अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 03.10.2023 निरस्तनीय है। अपीलांट ने अपील पेश करने में हुई देरी को माफी दिये जाने के सम्बंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दफा–5 पेश किया है जो स्वीकार फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्राधिकृत अधिकारी जोन–14 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 03.10.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने कृपा करे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खातेदार काश्तकारान से क्रय की है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्याा 1 के हक मे नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 24.7.2023 को स्वीकृत हुआ है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रहे। आगे बहस में यह भी कथन रहा की उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर ग्रामीण के समक्ष स्थगन आदेश नही बढाया गया, धारा 90 क के आदेश दिनांक 03.10.2023 को किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी नही था। जे0डी0ऐ0 द्वारा 90 क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई है, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मूल दावा सन 1989 से लगभग 34 वर्षो से विचाराधीन होना अपीलांट ने अपनी बहस में गलत अंकित किया है जबकि अपीलांट व अन्य द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय द्वारा दिनांक 15.3.2024 को खारिज किया गया। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत बेबुनियादी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील असम्बन्धित व अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पेश की है। धारा 90 (क) एल0आर0 एक्ट0 का आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक को अपीलार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज नही था और ना ही आज वर्तमान में अपीलार्थी अपीलाधीन भूमि में वर्णित रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसलिए अपीलार्थी प्रभावित/हितधारी व्यक्ति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 90 (क) के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गई है। ऐसे में प्रार्थी का कथन गलत है कि धारा 90 (क) की कार्यवाही की सूचना जारी नही की गई है।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि सीतारामपुरा एक जागीर का गांव था इस गांव में पांच पट्टीयां थी । सवाईसिंह जी एक पट्टी में जागीरदार थे। उनके वालिद श्री करणसिंह जी की मातमी सवाईसिंह जी के नाम हुई थी नकदी अलग जमा कराते थे। इन पट्टीदारों की मृत्यू पर पट्टीदार का टीकाई लडका जयपुर रियासत के कानून के अनुसार मातमी नियमों में जागीरदार होता था । श्री सवाईसिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 20.03.57 को हो गया था। उनके पांच लडके थे सबसे बड़े लडके श्री गिरधर सिंह जी थे जो कि कायम सिंह जी के गोद चले गये। दूसरे लडके श्री गणपत सिंह जी की मातमी 23.05.58 को कायदा मातमी रूल्स 1945 रियासत जयपुर जागीरदार पट्टीदार मंजूर हुई। उन्हे एस. डी. ओ. जयपुर के यहां अपने पिता सवाई सिंह जी की मातमी गणपतसिंह के नाम कराने की दरख्वास्त दी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जो शहादत सबूत के आधार पर सही पाई गई। गणपत सिंह जी के नाम की सिफारिश वास्ते मंजूरी अन्य जागीरदारों के साथ मय सिफारिश एस. डी. ओ जयपुर ने कलक्टर जयपुर को भेज दी जो मंजूर हो गई और ठा. गणपतसिंह जी की विधिवत रेवन्यू कोर्ट से जागीरदार पट्टीदार घोषित कर दिये । साबिका बन्दोबस्त जो सम्वत 2014 में हुआ था उसमें कब्जे के अनुसार खातेदारी का पर्चा गणपत सिंह जी के नाम जारी किया गया। दौलत सिंह, चावण्ड सिंह एवं रूपसिंह जी ने बन्दोबस्त के जो पर्चे गणपत सिंह जी के नाम जारी किये थे उनमे उजरदारी की (514/1958) उनवानी चावण्ड सिंह, रूप सिंह, दौलत सिंह बनाम गणपत सिंह जो बाद जांच उनकी उजरदारियां खारिज की गई और पर्चा खातेदारी जो बन्दोबस्त विभाग में गणपत सिंह जी के नाम से जारी किया गया वह बदस्तूर जारी रखा गया। दौराने हाल सेटलमेन्ट में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के सामने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.8.1984 को दौलत सिंह पुत्र सवाई सिह की पत्नी मान कंवर द्वारा पेश की गई विकेतागण के दादा गणपत सिंह जिनकी मृत्यू दिनांक 27.04.1964 को हो गई थी जिन्हे ग्राम सीतारापुरा निवास का नोटिस प्रेषित करवाया नोटिस मे अंकन रहा की गणपत सिंह गांव में नही रहते उस आधार पर दिनांक 06.11.1986 को पक्षकार के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने को आदेशित किया, वास्तविकता है कि गणपत सिंह का मृत्यु दिनांक 27.04.1964 को होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम पूर्व में ही नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया था जिसे देखे बिना गलत अंकन कर दिया गया, जिस पर विकेतागण द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे भू-प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद जोन्यायायल अति0जिला कलेक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष अन्तरित होने पर दिनांक 26.7.1995 को न्यायालय द्वारा खारिज की गई व बाद में दिनांक 07.10. 1995 को नामान्तरकरण संख्या 4 तहसीलदार तहसील सांगानेर द्वारा स्वीकृत किया गया , जिसकी अपील मिन रेस्पोडेन्ट के विकेतागण द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष की गई , जो पत्रावली संख्या 184/1996 द्वारा दिनांक 24.9.1996 को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 4 खारिज किया गया। साथ ही न्यायालय अति0जिला कलेक्टर द्वितीय द्वारा निरस्त की गई अपील के विरुद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील संख्या 81/1995 , पेश की । साथ ही जो नामान्तरकरण संख्या 4 खारिज दिनांक 24.09.1996 की अपीलांट के चाचा दौलत सिंह पुत्र सवाई सिंह की पत्नी श्रीमति मानकंवर द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुरं के समक्ष अपील संख्या 119/1996 व 107/1997 प्रस्तुत की उक्त तीनों अपीलों को संलग्न कर सुनवाई कि जाकर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 30.09.1997 को अपने निर्णय में मानकंवर बनाम मदन सिंह अपील संख्या 119/1996 व 107/1997 अस्वीकार कर खारिज की तथा अपील संख्या 81/1995 मदन सिंह बनाम मानकंवर स्वीकार फरमा कर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का आदेश दिनांक 06.11.1986 व न्यायालय अति0 कलेक्टर जयपुर द्वितीय का आदेश निरस्त किये गये तथा मूल वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण संख्या 4 कि समरी कार्यवाही को स्थगित रखी गई, अपीलांट व अन्य द्वारा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30.9.1997 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर प्रस्तुत अपील संख्या 43/1997 उनवान प्रताप सिंह बनाम मदन सिंह जिसमें रघुवीर सिंह स्वयं अपीलांट संख्या 6 मौजूद रहे है जिनकी अपील माननीय मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 23.9.2002 द्वारा अपील अस्वीकार फरमा दी गई। इसलिये यह स्पष्ट है की अपीलाट ने माननीय न्यायालय के मसक्ष अपील मीमों एवं अपनी बहस में यह गलत बताया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही को वाद के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया गया है। बल्कि नामान्तरकरण संख्या 4 की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी रघुवीर सिंह अपीलाधीन निर्णय मे वर्णित भूमि का कभी भी खातेदार काश्तकार नही रहा तथा अपीलांट व अन्य द्वारा विवादग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय द्वारा निर्णय व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

डिक्री दिनांक 15.03.2024 द्वारा खारिज कर दिया गया है इसलिये भी प्रार्थी का कोई हित निहित नही होने से प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई लॉकस स्टेण्डाई नही है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता जयपुर विकास प्राधिकरण की और से मुख्य रुप से बहस की गई की उनके द्वारा खातेदार काश्तकार अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्राधिकृत अधिकारी ने नियमानुसार आपत्ति प्राप्त करने हेतु विज्ञप्तित्ति जारी की जिसके बाबत किसी तरह की कोई आपत्ति नही आने पर नियमानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारों के हितों का प्रर्यावसन कर जयपुर विकास प्राधिकरण के हित में निहित किये गये। अपीलार्थी की अपील में किसी तरह का कोई वैधानिक प्रभाव नही है और ना ही अपीलांट को कोई अपील प्रस्तुत करने का कोई लोक्स स्टेण्डाई नही है अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 23.09.2019 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट जाहिर होता है की ग्राम सीतारामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 350, 359, 362 लगायत 364, 369 एवं 366 को जरिये पंजीकृत विकय पत्र से खातेदार काश्तकार से कय की है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 321 दिनांक 24.7.2023 को स्वीकृत हो कर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार अंकित रहे खातेदार द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के अन्तर्गत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर तथा तहसीलदार जोन द्वारा मौके की रिपोर्ट के परिक्षण उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत लोकसूचना प्रकाशित कर संलग्न दस्तावेजात के परिक्षण उपरान्त ही भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरुप पाये जाने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जहां तक अपीलांट का अपने अपील के समर्थन में विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधिकार घोषणा का वाद विचाराधीन होने का उज्र लिया है उक्त वाद न्यायालय द्वारा विचारण कर न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.2024 से खारिज कर दिया गया है खसरा नम्बर 15, 14/2, 16/1, 17, 14, 15/2, 16, एवं 17/1 का अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष वाद विचाराधीन था जो कि अपील प्रस्तुत करने से पूर्व ही दिनांक 15.3.2024 को खारिज कर दिया गया है। उक्त के अलावा अपीलार्थी का अपनी बहस एवं अपील मीमो में लिया गया उर्ज की नामान्तरकरण की कार्यवाही को वाद के निर्णय तक स्थगित किये जाने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 90–क आदेश पारित किया है अपीलांट का उक्त उज्र न्यायालय के समक्ष इसलिये ग्राहय नही है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का विभिन्न न्यायालय द्वारा आदेश केवल मात्र नामान्तरकरण संख्या 4 के सम्बन्ध में है न की विकय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अनुसरण में या विरासत के नामान्तरकरण के सम्बन्ध में है अपीलांट का नियमित वाद खारिज होने के कारण भी भू–राजस्व अधिनियम के तहत समरी कार्यवाही में पारित आदेश का कोई विधिक महत्व नही है । अतः उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश प्राधिकृत अधिकारी जोन–14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दिनांक 03.10.2023 एवं 31.01.2024 उचित एवं विधि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नही होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि:— अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन—14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2023 एवं 31.01.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।